



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

10 तेंदुए के अवैध शिकार एवं तस्करी मामले के आरोपी वसीम अकरम की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, शिवपुरी ने की निरस्त

प्रेस विज्ञप्ति (68/26, दिनांक 16.09.2026)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) म.प्र., क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी द्वारा वन्यजीव अपराध के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार आरोपी वसीम अकरम निवासी उत्तमनगर पश्चिम, नई दिल्ली की प्रथम नियमित जमानत याचिका को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी द्वारा निरस्त कर दिया है।

दिनांक 30 जुलाई 2026 को STSF भोपाल, STSF क्षेत्रीय इकाई शिवपुरी व वन्यप्राणी वनमंडल कूनो एवं वन मंडल श्योपुर की संयुक्त दल द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी 02 आरोपियों की निशान देही पर वन्यजीव तेन्दुए की 42 नग हड्डिया जप्त कर वन अपराध क्रमांक 237/25 दिनांक 30-07-2026 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी वसीम अकरम द्वारा वन्यप्राणी वन मण्डल कुनो एवं सामान्य वन मंडल श्योपुर के समीपस्थ ग्रामवासियों को दुष्प्रेरण कर 08 नग वन्यजीव तेंदुओं (Pantherapardus) का शिकार करावाया गया। आरोपी वसीम अकरम को 12 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में कुल 10 आरोपियों को आज दिनांक तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रकरण में आरोपी वसीम अकरम के द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में जमानत याचिका लगाई गई जिसे एसटीएसएफ इकाई शिवपुरी एवं अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी द्वारा दुष्प्रेरण कर योजनाबद्ध तरीके से अनुसूची-1 के संरक्षित वन्यजीव तेंदुए का शिकार करवाया गया है। प्रकरण की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, आरोपी के विरुद्ध पाये गए डिजिटल साक्ष्य और विवेचना जारी रहने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी ने आरोपी वसीम अकरम की धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत जमानत याचिका (BA/648/2026) निरस्त कर दी, व प्रकरण क्रमांक 3951/01 दिनांक 31-07-2026 में भी माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवपुरी द्वारा उक्त आरोपी जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त की गई वर्तमान में उक्त दोनों प्रकरणों में कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल